सरल कानूनी ज्ञान माला – 43

समाज कल्याण सम्बन्धी सरकारी योजनाएं

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल, उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, टोल फ्री नं० 1800 180 4072

ई–मेल : uaslsa_02@yahoo.co.in, ukslsanainital@gmail.com

लोक अदालतें क्या हैं ?

- लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है।
- ऐसे अपराधिक मामलों को छोड़कर जिनमें समझौता गैर–कानूनी है, सभी मामले लोक अदालतों द्वारा निपटाए जा सकते हैं।
- लोक अदालतों को कानूनी आधार प्राप्त हो गया है। अतः उसके फैसलों को अदालत का फैसला माना जाता है और वह सभी पक्षों पर अनिवार्य रूप से लागू होता है।
- लोक अदालत के फैसलों के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।
- लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित मामले में अदा की गयी कोर्ट फीस लौटाये जाने की भी व्यवस्था है।
- सभी जिलों में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की जा रही है और व्यक्तियों को अपने विवादों को लोक अदालतों के माध्यम से सुलझाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

लोक अदालतों में अपने मामलों को नियत कैसे करायें ?

- जिस न्यायालय में आपका मामला विचारधीन है उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से अनुरोध करें।
- दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव से अनुरोध करें।
- लोक अदालत में वे मुकद्में ही निस्तारित कराये जा सकते हैं, जिनमें मुकद्में के समस्त पक्षकार सहमत हों।
- जन उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित मामले सीधे स्थाई लोक अदालत में दायर कर निस्तारित कराये जा सकते हैं।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की संक्षिप्त विवरणिका

शैक्षिक सहायता एवं प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यक्रम

(01) अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रवृत्ति

01. कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत् छात्रों को रु. 50/– प्रतिमाह व कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को रु. 80/– प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों हेतु आय सीमा का प्रतिबंध नहीं है। छात्र को गत परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कक्षा 9 व 10 में रु. 120/– प्रतिमाह तथा शिक्षण/बोर्ड फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है। मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों हेतु छात्रवृत्ति के लिए उनके माता–पिता अथवा अभिभावक की मासिक आय रु. 5,000/– से अधिक नहीं होनी चाहिए। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् छात्रों को रु. 50 प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति अनुमन्य है। छात्रवृत्ति उन्हीं छात्रों को अनुमन्य है जिनके माता–पिता अथवा अभिभावक की मासिक आय रु. 1,000/– अधिक न हो।

02. दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् छात्र जिनके माता–पिता अथवा अभिभावक की वार्षिक आय रु. 2,00,000/– से अधिक न हो, उन्हें शिक्षण एवं परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के साथ शासन स्तर से निर्धारित विभिन्न दरों पर छात्रवृत्ति अनुमन्य है। यह छात्रवृत्ति इण्टर व स्तानक प्रथम वर्ष में डेस्कालर को रु. 230/– हॉस्टलर को रु. 380/– स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में डेस्कालर को रु. 370 हॉस्टलर को रु. 570/– प्रतिमाह स्नातकोत्तर एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम में डेस्कालर को रु. 530/– हॉस्टलर को रु. 820/– तथा मेडिकल इंजीनियरिंग डिग्री स्तर व स्नातकोत्तर स्तर के व्यवसायिक शोध हेतु डेस्कालर को रु. 550/– तथा हॉस्टलर को रु.1,200/– प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति अनुमन्य है।

03. मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दिये जाने पर कक्षा 7 व 8 में शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित दरों के अनुसार विद्यालय को शुल्क क्षतिपूर्ति किए जाने का प्राविधान है।

(02) <u>पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति</u>

01. पिछड़ी जाति के ऐसे छात्र जिनके माता–पिता अथवा अभिभावक की मासिक आय रु. 1,000/– से अधिक नहीं है तथा गत परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनका मैरिट के आधार पर चयन कर कक्षा 3 से 5 तक रु. 50/– प्रतिमाह की दर से यह छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है। छात्रवृत्ति कक्षा 3 में एक, कक्षा 4 में एक तथा कक्षा 5 में एक छात्र को अनुमन्य है। इसी प्रकार कक्षा 6 में तीन, कक्षा 7 में तीन तथा कक्षा 8 में दो छात्रों का मेरिट के आधार पर चयन कर रु. 80/– प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है। कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत् छात्र जिनके माता–पिता अथवा अभिभावक की मासिक आय रु. 1,000/– से अधिक नहीं है उन्हें रु. 100/– प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति अनुमन्य है। पूरे सत्र में यह छात्रवृत्ति अधिकतम 10 माह के लिए अनुमन्य है। आई.टी.आई. में अध्ययनरत् छात्रों को छात्रवृत्ति देय नहीं है।

02. दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् छात्रों जिनके माता–पिता अथवा अभिभावक की वार्षिक आय रु.1,00,000/– से अधिक नहीं है तथा उनके द्वारा गतपरीक्षा उत्तीर्ण कर लिए जाने पर उन्हें शिक्षण एवं परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के साथ छात्रवृत्ति अनुमन्य है। यह छात्रवृत्ति इण्टर एवं स्नातक प्रथम वर्ष में डेस्कालर को रु. 160/– हॉस्टलर को रु. 260 स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में डेस्कालर को रु. 160/– हॉस्टलर को रु. 260/– प्रतिमाह तथा स्नातकोत्तर एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम में डेस्कालर को रु. 210/– हॉस्टलर को रु. 400/– प्रतिमाह की दर से अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त स्नातकोत्तर स्तर के व्यवसायिक शोध हेतु डेस्कालर को रु. 350/– तथा हॉस्टलर को रु. 750/– प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति अनुमन्य है।

(03) अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति

01. अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र जिनके माता–पिता अथवा अभिभावक की मासिक आय गरीबी की रेखा के दुगने से अधिक नहीं है, ऐसे उत्तीर्ण छात्रों को कक्षा 1 से 10 तक की कक्षाओं में छात्रवृत्ति अनुमन्य है। यह छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5 तक रु. 50/– कक्षा 6 से 8 तक रु. 80/– तथा कक्षा 9 व 10 में रु. 120/– प्रतिमाह की दर से देय है।

(04) विकलांग छात्रवृत्ति

यह छात्रवृत्ति चयनित पात्र छात्रों को कक्षा 1 से दशमोत्तर तक प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति ऐसे छात्रों को अनुमन्य है जो गत परिक्षा में उत्तीर्ण हो तथा जिनके माता–पिता अथवा अभिभावक की मासिक आय रु. 2,000/– से अधिक ना हो। छात्रवृत्ति की दर कक्षा 1 से 5 तक रु. 50/– कक्षा 6 से 8 तक रु. 80/– एवं कक्षा 9 व 10 में रु. 170/– प्रतिमाह की दर से देय है। कक्षा 11 व 12 में डेस्कालर को रु. 85/– हॉस्टलर को रु. 140/– प्रतिमाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त व स्नातक स्तर पर डेस्कालर को रु. 125/– हॉस्टलर को रु. 180/– तथा स्नातकोत्तर व उच्च व्यवसायिक स्तर की शिक्षा हेतु डेस्कालर को रु. 170/– तथा हॉस्टलर को रु. 240/– प्रतिमाह निर्धारित है।

(03) गौरादेवी कन्या धन

इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण सभी वर्ग की बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किये जाने हेतु गौरादेवी कन्या धन योजना के तहत बी0पी0एल0 श्रेणी या जिनके माता–पिता अथवा अभिभावक की समस्त श्रोतो से वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में रु. 15,976/– तथा शहरी क्षेत्रों में रु. 21,206/– से अधिक नहीं है, से सम्बन्धित कन्या को इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर रु. 25,000/– की प्रोत्साहन राशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में प्रदान की जाती है। योजना के अर्न्तगत एक परिवार के अधिकतम् दो कन्याओं को लाभान्वित किए जाने का प्राविधान है।

सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन सम्बन्धी कार्यक्रम

01. वृद्धावस्था पेंशन

60 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे निराश्रित वृद्ध व्यक्ति जो बी0पी0एल0 श्रेणी के हैं अथवा जिनकी मासिक आय रु. 1,000/– से अधिक नहीं है तथा जिनके बालिग पुत्र व पौत्र सरकारी/ अर्द्धसरकारी सेवारत न हो अर्थात् मेहनत मजदूरी से ही जीवन यापन करते हो को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में उपजिलाधिकारी की स्वीकृति पर पेंशन दिए जाने का प्राविधान है। 60 से 79 वर्ष तक की आयु के वृद्धों को रु. 200/– राज्य सरकार द्वारा तथा रु. 200/– केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिमाह प्रदान की जाती है। बी0पी0एल0 श्रेणी के 80 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धों को रु. 200/– राज्य सरकार द्वारा तथा रु. 500/– प्रतिमाह केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है।

02. विकलांग पेंशन

18 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे निराश्रित विकलांग व्यक्ति जिनकी विकलांगता 40% से अधिक हो और बी0पी0एल0 श्रेणी के हों अथवा जिनकी मासिक आय रु. 1,000/– से अधिक न हो तथा जिनके बालिग पुत्र व पौत्र सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवारत न हो अर्थात् मेहनत मजदूरी से ही जीवन यापन करते हो को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में उपजिलाधिकारी की स्वीकृति पर रु. 600/– प्रतिमाह की दर से पेंशन दिए जाने का प्राविधान है। कुष्ठ रोग मुक्त विकलांग व्यक्तियों को रु. 1,000/– प्रतिमाह की दर से पेंशन अनुमन्य है।

03. विधवा पेंशन

18 वर्ष से अधिक उम्र की निराश्रित विधवा जो बी0पी0एल0 श्रेणी के हों अथवा जिनकी मासिक आय रु. 1,000/– से अधिक हो तथा जिनके बालिग पुत्र व पौत्र सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवारत न हो अर्थात् मेहनत से ही जीवन यापन करते हो को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में उपजिलाधिकारी की स्वीकृति पर रु. 400/– प्रतिमाह की दर से पेंशन दिए जाने का प्राविधान है।

अनुदान एवं प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यक्रम

01. अनुसूचित जाति एवं जनजाति व्यक्तियों को पुत्री की शादी एवं बीमारी इलाज अनुदान

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के निर्धन व्यक्तियों के इलाज हेतु रु. 2,000/– तथा पुत्री के विवाह हेतु रु. 20,000/– आर्थिक सहायता दिए जाने का प्राविधान है। यह अनुदान उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जो बी0पी0एल0 श्रेणी के हों अथवा जिनकी मासिक आय समस्त श्रोतों से रु. 1,250/– से अधिक न हो। इलाज हेतु अनुदान के लिए अनुदान बजट उपलब्धता पर देय है। योजनान्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आवेदन पत्रों पर ही अनुदान की स्वीकृति दी जाती है। योजनान्तर्गत लम्बित आवेदन पत्र 31 मार्च को निरस्त कर दिए जाने का प्राविधान है।

02. अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार उत्पीड़न सहायता

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को सामान्य जाति के व्यक्तियों द्वारा उत्पीड़ित किए जाने की दशा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के आधार पर विभिन्न मामलों में निर्धारित मुआवजे की दरों के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

03. अनुसूचित जाति एवं जनजाति अटल आवास योजना

अनुसूचित जाति एवं जनजाति अटल आवास योजना के तहत् आवास विहीन परिवार जो बी0पी0एल0 श्रेणी के हो अथवा जिनकी मासिक आय रु. 2,666/– से अधिक न हो, तथा जिन्हें इन्दिरा आवास, पं0 दीन दयाल उपाध्याय आवास क्रेडिट कम सब्सिडी आवास आदि योजनान्तर्गत आवास निर्माण के लिए अनुदान न दिया गया हो, को स्वयं की भूमि पर आवास निर्माण के लिए पर्वतीय क्षेत्र में रु. 38,500/– मैदानी क्षेत्र में रु. 35,000/– का अनुदान दिया जाता है।

04. विकलांग व्यक्तियों को अनुदान एवं प्रोत्साहन

विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम श्रवण यंत्र, तिपहिया साईकिल, बैसाखी, जयपुरियाबूट, चश्मा आदि क्रय करने के लिए पात्र व्यक्ति को

चिकित्सक की संस्तुति पर अधिकतम् रु. 3,500/– का अनुदान दिया जाता है। पात्रता के लिए अभ्यर्थी की मासिक आय रु. 1,000/– से अधिक नहीं होनी चाहिए।

05. निराश्रित विधवाओं को अनुदान एवं प्रोत्साहन

सभी वर्ग की विधवा पेंशनगृहीताओं के पुत्री के विवाह हेतु विधवा पेंशनगृहीता को रु. 10,000/– की धनराशि अनुदान स्वरूप प्रदान की जाती है। यह अनुदान उसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किया जाता है जिस वित्तीय वर्ष में पुत्री की शादी सम्पन्न हुई हो। लम्बित आवेदन पत्र 31 मार्च को निरस्त घोषित करने का प्राविधान है।

06. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

परिवार के मुख्य कमाऊ व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 64 वर्ष हो की मृत्यु हो जाने पर परिवार गरीबी की रेखा के नीचे आने पर एक मुश्त रु. 10,000/– की धनराशि अनुदान स्वरूप दी जाती है। यह अनुदान मृतक की पत्नी, नाबालिक बच्चे या वृद्ध माता–पिता अथवा मृतक के अविवाहित होने पर आश्रित नाबालिक भाई–बहिन को देय है। 18 अक्टूबर, 2012 के बाद मृत्यु होने पर अनुदान की राशि को रु. 20,000/– कर दिया गया है।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति / उपसमिति / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं ..... पुत्र / पुत्री / पत्नी / विधवा .....

निवासी ..... विधिक सहायता / परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता / करती हूँ –

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000 / – (एक लाख रुपया) तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ / आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–
   - (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
   - (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
   - (ग) स्त्री या बालक
   - (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
   - (ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
   - (च) औद्योगिक कर्मकार
   - (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित
   - (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–
   - (1) वाद दायर करने / प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें
   - (2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
   - (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी / व्यय होने वाली धनराशि
   - (4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
   - (5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ / दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण / उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा / करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा / छुपाऊँगी।

प्रार्थी / प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1.	सरल कानूनी ज्ञान माला–1	उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2.	सरल कानूनी ज्ञान माला–2	पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वपूर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3.	सरल कानूनी ज्ञान माला–3	वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4.	सरल कानूनी ज्ञान माला–4	उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5.	सरल कानूनी ज्ञान माला–5	सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6.	सरल कानूनी ज्ञान माला–6	महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7.	सरल कानूनी ज्ञान माला–7	वैश्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8.	सरल कानूनी ज्ञान माला–8	भ्रष्टाचार निवारण विधि
9.	सरल कानूनी ज्ञान माला–9	मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10.	सरल कानूनी ज्ञान माला–10	मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11.	सरल कानूनी ज्ञान माला–11	मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12.	सरल कानूनी ज्ञान माला–12	भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि
13.	सरल कानूनी ज्ञान माला–13	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14.	सरल कानूनी ज्ञान माला–14	झगड़ों को रोकने सम्बन्धी विधि
15.	सरल कानूनी ज्ञान माला–15	किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16.	सरल कानूनी ज्ञान माला–16	मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17.	सरल कानूनी ज्ञान माला–17	बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18.	सरल कानूनी ज्ञान माला–18	नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19.	सरल कानूनी ज्ञान माला–19	उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20.	सरल कानूनी ज्ञान माला–20	मजदूरों के कानूनी अधिकार
21.	सरल कानूनी ज्ञान माला–21	प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22.	सरल कानूनी ज्ञान माला–22	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23.	सरल कानूनी ज्ञान माला–23	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24.	सरल कानूनी ज्ञान माला–24	हिन्दू विवाह एवं सम्पत्ति का अधिकार
25.	सरल कानूनी ज्ञान माला–25	बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26.	सरल कानूनी ज्ञान माला–26	उपभोक्ता संरक्षण कानून
27.	सरल कानूनी ज्ञान माला–27	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28.	सरल कानूनी ज्ञान माला–28	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29.	सरल कानूनी ज्ञान माला–29	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30.	सरल कानूनी ज्ञान माला–30	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31.	सरल कानूनी ज्ञान माला–31	तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)
32.	सरल कानूनी ज्ञान माला–32	दहेज
33.	सरल कानूनी ज्ञान माला–33	बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34.	सरल कानूनी ज्ञान माला–34	राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून
35.	सरल कानूनी ज्ञान माला–35	मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36.	सरल कानूनी ज्ञान माला–36	श्रम कानून
37.	सरल कानूनी ज्ञान माला–37	उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38.	सरल कानूनी ज्ञान माला–38	सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39.	सरल कानूनी ज्ञान माला–39	वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40.	सरल कानूनी ज्ञान माला–40	एड्स को जानें
41.	सरल कानूनी ज्ञान माला–41	मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42.	सरल कानूनी ज्ञान माला–42	शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43.	सरल कानूनी ज्ञान माला–43	समाज कल्याण सम्बन्धी सरकारी योजनाएं
44.	सरल कानूनी ज्ञान माला–44	कानून की जानकारी आखिर क्यों?

विधिक सेवाएं क्या हैं ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक।

नोटः– क्रम संख्या 1 से 7, 9, 10 एवं 11 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

कँवर अमनिन्दर सिंह
एच.जे.एस.
सदस्य सचिव

न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी. पन्त
कार्यपालक अध्यक्ष

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

Designed & Printed by : **Mittal Enterprises**, Delhi. # Mob: 09811340726